



संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ
मध्य प्रदेश

क्रमांक 4 / दृ.नि. / 2018 / 200

भोपाल, दिनांक :- 10 / 07 / 2018

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
इंदौर, उज्जैन, देवास, आगर, शाजापुर, धार, खरगोन, खंडवा,
बड़वानी, बुरहानपुर, अलीराजपुर, नीमच, मंदसौर, हरदा, रतलाम,
झाबुआ, मध्यप्रदेश

विषय :- चौईथराम नेत्र चिकित्सालय इंदौर मे दिनांक 26 व 27 जुलाई 2018 को जिला कार्यक्रम अधिकारी (अंधत्व), उप जिला कार्यक्रम अधिकारी (अंधत्व) व नेत्र सहायक के प्रशिक्षण बावत।

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2018-19 मे स्वयंसेवी संस्था के सहयोग से जिलों को मोतियाबिंद बैकलाग फ्री किया जाना है, इस हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं को जिले आवंटित किये गये हैं।

प्रमुख सचिव महोदया के निर्देशानुसार स्वयंसेवी संस्थाओं को आवंटित जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारी (अंधत्व), उप जिला कार्यक्रम अधिकारी (अंधत्व) एवं नेत्र सहायक को स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षित किया जाना है।

चौईथराम नेत्र चिकित्सालय इंदौर को आवंटित जिले- इंदौर, उज्जैन, देवास, आगर, शाजापुर, धार, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर, अलीराजपुर, नीमच, मंदसौर, हरदा, रतलाम, झाबुआ है, इन जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारी (अंधत्व), उप जिला कार्यक्रम अधिकारी (अंधत्व) एवं नेत्र सहायक को प्रशिक्षित किये जाने हेतु चौईथराम नेत्र चिकित्सालय इंदौर मे दिनांक 26 व 27 जुलाई 2018 को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, प्रशिक्षणार्थियों के आवास की व्यवस्था तथा आशाओं को वितरित की जाने वाली सामग्री चौईथराम नेत्र चिकित्सालय इंदौर के द्वारा की जायेगी।


संचालक

(एन.पी.सी.बी&वी.आई)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, (म.प्र.)

भोपाल, दिनांक :-

क्रमांक 4 / दृ.नि. / 2018 /

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ मध्यप्रदेश।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., अरेरा हिल्स परिसर, भोपाल, म.प्र।
4. कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण समिति जिला,, मध्यप्रदेश।
5. जिला कार्यक्रम अधिकारी (अंधत्व) जिला,, मध्यप्रदेश।
6. चौईथराम नेत्र चिकित्सालय इंदौर, की ओर आवश्यक कार्यवाही, हेतु प्रेषित।

संचालक

(एन.पी.सी.बी&वी.आई)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ,

(म.प्र.)